"अंतर्राष्ट्रीय रसायनिक प्रबंधन की रणनीति के लिए, गैर सरकारी संगठन/नागरिक समाज संगठन की वैश्विक साझा वक्तव्य"

समाज में रसायनिक प्रबंधन के लिए मूलभूत परिर्वतन की आवश्यकता को मान्यता दिलाने के लिए 100 से अधिक सरकारों के पर्यावरण मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ नागरिक समाज संगठन एंव निजी क्षेत्रों के लोग दुबई घोषणा, 6 फरवरी 2006 में शामिल थे। जिसके अनुसार " पर्यावरण वैविक स्तर पर लगातार वायु , जल तथा भूमि प्रदूषण से जूझ रहा है जिससे लाखों लोगों के कल्याण तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पर रहा है।" इस सम्मेलन में "अंतर्राष्ट्रीय रसायनिक प्रबंधन रणनीति" {Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM)} को अपनाया गया था। ये एक वैश्विक कार्ययोजना थी जिसका लक्ष्य था, "रसायन के पुरे जीवन चक्र के कुशल प्रबंधन के लिए सन 2020 तक प्रयोग तथा उत्पादित किए जाने वाले रसायन कम से कम किया जाए तथा मानवीय स्वास्थ्य एंव पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम न पड़े।" SAICM में कृषि तथा औद्योगिक दोनो रसायनों की बात की गई है, जो रसायनिक जीवन चक्र के सभी चरणों में शामिल होते हैं, जिस में रसायनिक उत्पाद के कचरे का उपयोग एंव पिष्पादन शामिल है।

हम, (संगठन का नाम)-----------------------, एक नागरिक समाज संगठन हैं, जो विषैले रसायन के लिए ताकि ये भविष्य के लिए हानि का स्रोत न रहे।

हम SAICM से सहमत हैंः–

- हमें कार्यवाई करने की आवश्यकता है ताकि रसायनो के दुष्प्रभाव से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध व्यक्ति, गरीब तथा अन्य समूह के कमजोर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो।
- एहतियाती दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि, प्रदूषण निवारण उपाय को प्राथमिकता दी जाए।
- हमें उन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है ताकि, "विकासशील देशों में रसायनिक प्रबंधन की क्षमता की जो कमी है तथा वो देश जिनकी आर्थिक स्थिति अभी संक्रमन के दौर में है और वह कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों पर निर्भर हैं इन खतरनाक रसायनों का प्रभाव लम्बे समय तक रहता है जिसका दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनो पर पड़ता है।"
- इस प्रतिबद्धता के साथ कि "हम समर्थन और बढ़ावा देंगे इन नवीन विचारों को जिससे कुशल तथा सुरक्षित पर्यावरणीय विकल्प जैसे कि स्वच्छ उत्पादन तथा गैर–रसायनिक विकल्प आदि।"
- "स्वच्छ और सुरक्षित प्रोद्योगिकी" को पर्याप्त बढ़ाबा देने की जरूरत है साथ ही साथ "वर्तमान तथा नये वित्तिय समर्थन" की भी आवश्यकता है।
- "कुशल रसायनिक प्रबंधन के लिए, क्षमता निर्माण, शिक्षा तथा प्रशिक्षण एंव सूचनाओं के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता।"
- "यदि हमें सतत् विकास, गरीबी तथा बीमारी की उन्मूलन, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सुधार एंव अपने रख–रखाव के मानक स्तर को उच्च रखना है तो, कुशल रसायनिक प्रबंधन अति आवश्यक है।"
- इन पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी कि, "नागरिक समाज के सभी क्षेत्रों द्वारा सक्रिय भागीदरी विशेषकर महिलाएँ कार्यकर्त्ता तथा मूलनिवासी को प्रोत्साहित एंव समर्थन करना ताकि कानून बनाने वाले इस विषय को समझ सके।"
- "रसायनिक जीवन चक्र, उनके खतरे तथा उनसे मानव स्वास्थ्य एंव पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव की सूचना तथा ज्ञान को सभी तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता।"

हमने खुद तथा सहयोगियों को जिनमें शामिल हैं गैर–सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, अंतर सरकारी संगठन तथा अन्य जो इन मुद्दे पर मिल कर काम कर रहे हैं ताकि, SAICM के नियमों को लागु किया जाए तथा घरेलु रसायनिक मूल्यांकन तथा प्रबंधन कानून में सुधार की जाए जिससे सभी देश 2020 के लक्ष्य को पुरा कर सके।

जनवरी 23–25, 2008 को टोरंटो, कनाड़ा में हुई योजना बैठक में गैर–सरकारी संगठनों के छः समूहो के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व SAICM अभियान को आगे बढ़ाने के लिए SAICM पर एक विश्व व्यापी प्रस्ताव विकसित किया गया। इसमें Health Care Without Harm (HCWH); the International POPs Elimination Network (IPEN); International Society of Doctors for the Environment, (ISDE); Pesticides Action Network International (PAN); Women in Europe for a Common Future (WECF) और the World Federation of Public Health Associations (WFPHA नामक छः समूह शामिल रहें। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि दुनिया के सभी क्षेत्रो के कम से कम एक हजार से भी ज्यादा संगठनो को “विचार और स्वीकार्य“ के लिए इस विश्व अभियान के प्रस्ताव का अनुमोदन करना होगा।

<u>विश्व अनुमोदन अभियान फार्म</u>

संगठन का नाम	
देश एवं मुख्य कार्यालय का पता	
संपर्क हेतु नाम व ई–मेल	
वेबसाइट	

संगठन के कार्य का भौगोलिक क्षेत्र	रसायनिक सुरक्षात्मक मुददो पर संभव रुचिकर क्षेत्र
☐ देश का स्थान, प्रांत, राज्य या क्षेत्र	☐ SAICM 2020 उददेश्यो् को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों, नियमो और परिवर्तनो को बढ़ावा देना।
☐ राष्ट्रीय	☐ खतरनाक कृषि रसायनो से होने वाले खतरों से किसानो, कामगारों और समुदायो को बचाना।
☐ क्षेत्रिय (दो या अधिक देशो के लिए)	☐ शीशा, पारा, केडेमियम आदि जहरीले पदार्थो से होने वाले खतरों से बच्चों, लोगो एवं पर्यावरण को बचाना।
☐ अंतरराष्ट्रीय	
भौगोलिक क्षेत्र का नामः ____________________	

संगठन का प्रकार : (एक चुनें) ☐ पर्यावरण संगठन ☐ स्वास्थ्य संगठन ☐ विकास संगठन ☐ व्यवसायिक संगठन ☐ लोक संगठन ☐ व्यापार संगठन ☐ उपभोक्ता संगठन ☐ अन्य ______________________________	☐ POPs एवं अन्य जहरीले रसायनों से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना। ☐ कर्मचारियों को जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से बचाना। ☐ मानव, पर्यावरणिय एवं उपभोगी उत्पादों में उपस्थित जहरीले रसायनों की देख–रेख करना। ☐ न्यूनत्तम कूड़ा और उचित कूड़ा प्रबंधन को बढ़ावा देना जिसका उददेश्य् लोगो को प्रदूषण फेलाने वाले कारणो और तरीकों (जैसे–कूड़े को जलाना, खुले में डालना, अव्यवस्थित भराव या प्रदूषित भस्मीकरण) से बचाना हो।

कृप्या फार्म को भरने के पश्चात् निम्न पते पर ई–मेल करें।

E-mail: piyush@toxicslink.org, ipen@ipen.org